एचएसबी

पूरी बेंच

समक्ष एसपी गोयल, जीसी मितल और एसएस सोढ़ी ज.ज.

पृथी सिंह और अन्य, - *अपीलकर्ता,*

बनाम

बिंदा राम और अन्य, - *प्रतिवादी।*

1981 *के आदेश क्रमांक* 324 *से प्रथम अपील*

30 मई 1986

*मोटर वाहन अधिनियम (*1939 का चतुर्थ*) - धारा* 110 *ए - मोटर वाहन नियम,* 1940 - *नियम* 4.60 - *नियम* 4.60 का *उल्लंघन करते हुए यात्रियों को ले जाने वाले ट्रक का चालक - ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे यात्री की मृत्यु हो गई - कहा गया कि दुर्घटना हो रही है मालिक के व्यवसाय पर रोजगार के दौरान - ट्रक का मालिक - क्या चालक के कृत्य के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है - ऐसा मालिक - क्या नियम* 4.60 के उल्लंघन में यात्रियों को ले जाने के रूप में अपने दायित्व से मुक्त हो गया है।

निर्धारित किया गया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 110-ए के तहत मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व को मजबूत करने के लिए निर्धारण कारक, जहां तक मालिक के दायित्व का संबंध है, यह है कि क्या कार्य चालक द्वारा किया गया था। उसका रोजगार चल रहा है या नहीं। यदि ड्राइवर अपने रोजगार के दौरान कार्य कर रहा था तो मालिक उत्तरदायी होगा, भले ही ड्राइवर ने मोटर वाहन नियम,

1940 के नियम 4.60 का उल्लंघन किया हो; इस प्रकार, ट्रक के मालिक को उसके प्रतिवर्ती दायित्व से केवल इसलिए मुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि चालक ने उपरोक्त नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मृतक को ट्रक में यात्री के रूप में ले जाया था। (पैरा 3 और 4).

जीवन दास रोशन लाल *बनाम* कर्णई सिंह और अन्य 1980 एसीजे 445।

(पलट गया)

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड *बनाम* अब्दुल मुनफ मजूर हुसैन मोमिन और अन्य

1984 एसीजे 653.

कृष्णा रामय्या गौंडा *बनाम* सीपीसी मोटर कंपनी और अन्य।

1983 कर्नाटक 176. (से असहमत)

श्री हरि राम की अदालत, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, 'भिवानी दिनांक 26 *मार्च,* 1981 के आदेश के विरुद्ध, मोटर वाहन अधिनियम *के तहत* धारा 110-डी *के अंतर्गत पहली अपील, जिसमें रुपये 5000 का पुरस्कार दिया गया। पिरथी सिंह और श्रीमती* लीलावती *को मुआवजे के* रूप में 5,000 रु. 1977 *की दावा याचिका क्रमांक* 2 में, 1977 *की दावा याचिका संख्या* 10 *में मनबीर सिंह के पक्ष में* 500 *रु.* 1977 की दावा याचिका संख्या 11 में *आनुपातिक लागत के साथ बिशन सिंह की बेटी नीलम के पक्ष* में 100 रु. *प्रतिवादी क्रमांक* 2 *महाबीर से संतुष्ट। अन्य उत्तरदाताओं के खिलाफ याचिकाएं लागत के संबंध में बिना किसी आदेश*

के खारिज कर दी जाती हैं।

-हेमंत कुमार गुप्ता, अधिवक्ता जीसी गर्ग। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

एससी कपूर, वकील, *प्रतिवादी* 1 *से* 3 और 5 के लिए

मुनेश्वर पुरी, वकील जीएस भाटिया, *प्रतिवादी नंबर* 4 के वकील।

निर्णय

एस. *पी. गोयल, ज.*

(1) अपीलकर्ता के बेटे कंवर पाल की मृत्यु 29 नवंबर, 1976 को महावीर प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा संचालित ट्रक नंबर एचवाईबी 5137 में यात्रा करते समय हुई चोटों से हुई थी। ट्रक के मालिकों, ड्राइवर और ट्रक के मालिकों के खिलाफ दायर दावा याचिका में बीमा कंपनी ने अपीलकर्ताओं को मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये दिए और अकेले महावीर को इसके भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया। ट्रक के मालिक को इस आधार पर बरी कर दिया गया कि मृतक को नियम 4.60 के उल्लंघन में अनधिकृत रूप से एक यात्री के रूप में ले जाया गया था। पंजाब मोटर वाहन नियम, 1940 के अनुसार, उसके कर्मचारी द्वारा ट्रक को तेजी से और लापरवाही से चलाने के कारण किए गए कपटपूर्ण कृत्य के लिए उस पर प्रतिवर्ती दायित्व नहीं डाला जा सकता। इस दृष्टिकोण के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा डिवीजन पर निर्भरता रखी गई थी मैसर्स *जीवन दास रोशन एलडीएल* बनाम *करनैल सिंह और अन्य* में इस न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय

पर। जब यह मामला मेरे विद्वान भाई सोढ़ी जे के समक्ष अपील में आया, तो उन्होंने सोचा कि *पुष्पाबाई पुरषोत्तम उदेशी और अन्य बनाम* मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर *जीवन दास रोहन लाई के मामले (सुप्रा) में फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।* मैसर्स *रंजीत जिनिंग और कंपनी और अन्य पर दबाव डालते हुए,* (2) और मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया। इस तरह हम इस मामले से अवगत हैं।

(2) *पुषल्पाबाईस पुरषोतामिस उदेशी के मामले में* (सुप्रा) *पुरषो* तुलसीदास की मृत्यु एक मोटर कार दुर्घटना में हुई जब वह उस कार में यात्रा कर रहे थे जिसे माधवजीभाई चला रहे थे; प्रतिद्वंद्वी कंपनी, मेसर्स रंजीत गिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक ने जल्दबाजी और लापरवाही बरती। मृतक के वारिसों ने मालिक के साथ-साथ बीमा कंपनी से मुआवजे का दावा किया। बचाव में उठाई गई दलीलों में से एक यह थी कि मृतक उक्त वाहन में अपनी ज़िम्मेदारी पर, अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए और बिल्कुल मुफ्त यात्रा कर रहा था, न कि वाहन के मालिक या चालक की ओर से या उसके कहने पर, इसलिए, चालक की ओर से किसी भी लापरवाही के लिए उत्तरदाताओं को परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने पाया कि कार कंपनी के व्यवसाय के लिए जा रही थी और माधवजीभाई भी, लेकिन आगे यह भी कहा कि यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई दलील या सामग्री नहीं थी कि पुरषोत्तम तुलसीदास मालिक के किसी व्यवसाय के लिए वाहन में यात्रा कर रहे थे। या उनके किसी प्रत्यक्ष अधिकार के तहत, यह नहीं कहा जा सकता कि दुर्घटना माधवजीभाई के रोजगार के

दौरान या कंपनी के अधिकार के तहत हुई थी। *यंग* बनाम *एडवर्ड बॉक्स एंड कंपनी लिमिटेड (3)* में लॉर्ड जस्टिस डेनिंग द्वारा व्यक्त किए गए कानून के बयान पर भरोसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को इस प्रकार पलट दिया: -

> "लॉर्ड जस्टिस डेनिंग ने यह देखते हुए निष्कर्ष निकाला कि यात्री, इसलिए, एक अतिचारी था, जहां तक नियोक्ताओं का संबंध था; लेकिन फिर भी ड्राइवर अपने रोजगार के दौरान कार्य कर रहा था, और यह नियोक्ताओं को उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार इसे देखा जाएगा, जबकि दो विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि वादी को लॉरी पर सवारी करने की अनुमति देने का अधिकार फोरमैन और के प्रत्यक्ष अधिकार के भीतर था। वादी एक लाइसेंसधारी के रूप में उस प्राधिकारी पर भरोसा करने का हकदार था, लॉर्ड डेनिंग ने इसे इस आधार पर आधारित किया कि भले ही वादी एक अतिचारी था जहां तक प्रतिवादी का संबंध था, क्योंकि ड्राइवर अपने रोजगार के दौरान कार्य कर रहा था। वादी को छूट देना प्रतिवादियों को उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त था। निर्धारित परीक्षण को लागू करने पर यह निष्कर्ष निकालने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि पुरषोत्तम को कार में सवारी करने के लिए छुट्टी देने का अधिकार कंपनी के प्रबंधक के अधिकार क्षेत्र में था जो कार चला रहा था और प्रबंधक इस दिशा में कार्य कर रहा था। पुरषोत्तम को छुट्टी देने में अपने रोजगार का. दोनों परीक्षणों

के तहत उत्तरदाता उत्तरदायी होंगे।"

पुष्पाबाई पुरषोत्तम उदेशी के मामले में बेंच के लिए बात की थी कि नौकर के कृत्यों के लिए मालिक के प्रतिवर्ती दायित्व से संबंधित कानून का सारांश इस प्रकार दिया:

"निष्कर्ष निकालने से पहले हम यह बताना चाहेंगे कि कानून में हालिया प्रवृत्ति मालिक को उन कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाने की है जो "रोजगार के दौरान" शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। हमने *सीताराम मोतीलाल कलाल* बनाम *संतनुप्रसाद जयशंकर भाटी का उल्लेख किया है, जहां इस न्यायालय ने ऑरमरोड और एंडर* बनाम *क्रॉसविले मोटर सर्विसेज लिमिटेड और अन्य (सुप्रा)* में लॉर्ड डेनिंग द्वारा निर्धारित कानून को स्वीकार किया था कि मालिक न केवल लापरवाही के लिए उत्तरदायी है। ड्राइवर यदि वह ड्राइवर उसका नौकर है जो उसकी नियुक्ति के दौरान काम कर रहा है, लेकिन तब भी जब ड्राइवर, मालिक की सहमति से, मालिक के व्यवसाय के लिए या मालिक के उद्देश्यों के लिए कार चला रहा हो। इस विस्तार को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। *यंग* बनाम *एडवर्ड बॉक्स एंड कंपनी लिमिटेड* में लॉर्ड डेनिंग द्वारा निर्धारित कानून का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है यानी पहला सवाल यह देखना है कि क्या नौकर उत्तरदायी है और यदि उत्तर हां है, तो दूसरा सवाल यह देखना है कि क्या नियोक्ता को ऐसा करना चाहिए

नौकर के दायित्व को वहन करना, समान रूप से स्वीकार किया गया है जैसा कि सैल्मंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स 15 वें संस्करण में कहा गया है। क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट, 1947 में पी 606 और *स्टैनली आयरन एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड* बनाम *जोन्स* एंड *आईसीआई लिमिटेड,* बनाम *शैटवेल में हाउस ऑफ लॉर्ड्स* द्वारा अनुमोदित। पाठ्यक्रम का दायरा *नवारो* बनाम *मोरग्रैंड लिमिटेड और अन्य मामले* में रोजगार की अवधि बढ़ा दी गई है, जहां वादी जो एक निश्चित फ्लैट की किरायेदारी हासिल करना चाहता था, उसने दूसरे प्रतिवादी के लिए आवेदन किया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पहले प्रतिवादी के लिए विशेष फ्लैट किराए पर देने का व्यवसाय संचालित करने का प्रत्यक्ष अधिकार है। मकानमालिक। दूसरे प्रतिवादी ने वादी से £225 के भुगतान की मांग की यदि उसे फ्लैट चाहिए और वादी ने राशि का भुगतान कर दिया। वादी ने मकान मालिक और किरायेदार (किराया नियंत्रण) अधिनियम, 1949 के तहत मकान मालिक से राशि वसूलने की मांग की। अपील अदालत ने माना कि केवल यह तथ्य कि दूसरा प्रतिवादी अवैध अनुरोध कर रहा था, वादी को नोटिस नहीं है कि वह अपने अधिकार से आगे बढ़ रहा था। और, हालांकि दूसरा प्रतिवादी प्रीमियम मांगने में अपने वास्तविक या प्रत्यक्ष अधिकार के तहत काम नहीं कर रहा था क्योंकि मकान मालिक ने उसे फ्लैट किराए पर देने का काम सौंपा था, और जैसा कि यह हुआ था उस

व्यवसाय का संचालन करना जिसके बारे में उसने गलत शिकायत की थी; वह अपने रोजगार के दौरान अभिनय कर रहा था। लॉर्ड डेनिंग का विचार था कि यद्यपि दूसरा प्रतिवादी प्रीमियम मांगने और प्राप्त करने में अवैध रूप से कार्य कर रहा था और उसके पास अवैध कार्य करने का कोई वास्तविक या प्रत्यक्ष अधिकार नहीं था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से अपने रोजगार के दौरान कार्य कर रहा था, क्योंकि उसके नियोक्ता जमींदारों ने उसे मकान किराये पर देने का पूरा कारोबार सौंपा था। संपत्ति, और उस व्यवसाय के संचालन के दौरान ही उसने गलत काम किया जिसकी शिकायत की गई है। इस निर्णय ने रोजगार के दौरान कार्रवाई के दायरे को बढ़ा दिया है, जिसमें प्रीमियम मांगने और प्राप्त करने का अवैध कार्य भी शामिल है, हालांकि प्रीमियम प्राप्त करना अधिकृत नहीं था। हम इस बात पर विचार करने के लिए बाध्य महसूस नहीं करते कि क्या इस विस्तारित अर्थ को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि लॉर्ड गोडार्ड, मुख्य न्यायाधीश, *बार्कर* बनाम *लैविंसन मामले में आगे बढ़ गए थे* और कहा था कि यदि नौकर नौकर के रोजगार के सामान्य दायरे के भीतर कार्य करता है, तो मालिक नौकर के आपराधिक कृत्य के लिए जिम्मेदार होता है। लॉर्ड जस्टिस डेनिंग इस हद तक नहीं जाएंगे और उन्हें यह जानकर राहत महसूस हुई कि अधिकृत कानून रिपोर्ट (1951) आईकेबी 342 में, ऊपर उद्धृत

मार्ग को हटा दिया गया था। हम लॉर्ड डेनिंग के इस विचार से आदरपूर्वक सहमत हैं कि लॉर्ड चीफ जस्टिस गोडार्ड के हवाले से दिया गया अंश कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया है।"

भारतीय स्टेट बैंक बनाम *श्रीमती श्यामा देवी (4)* मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोजगार के दौरान किए गए नौकर के कृत्यों के लिए मालिक के प्रतिवर्ती दायित्व का दायरा और भी बढ़ा दिया गया था और कानून निर्धारित किया गया था। *यूनाइटेड अफ्रीका कंपनी लिमिटेड* में प्रिवी काउंसिल बनाम *साका ओवोडे* (5) कि एक मालिक अपने नौकर द्वारा मालिक के व्यवसाय के दौरान की गई धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी है, चाहे धोखाधड़ी मालिक के लाभ के लिए थी या नहीं, अगर यह नौकर द्वारा की गई थी उसके रोजगार के दौरान, अनुमोदित। गलतियों के लिए मालिक के दायित्व में कोई अंतर नहीं है, चाहे वह धोखाधड़ी हो या नौकर द्वारा उसके रोजगार के दौरान किया गया कोई अन्य अपराध, और यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है कि क्या यह रोजगार के दौरान किया गया था। प्रिवी काउंसिल के समक्ष मामले में अपीलकर्ता कंपनी ने स्पष्ट रूप से प्रतिवादी के नौकरों को उनके अनुरोध पर सड़क मार्ग से माल ले जाने के लिए एक परिवहन चोर ट्रैक्टर देने का वादा किया था, और नौकरों ने सामान चुरा लिया। साक्ष्यों से यह स्थापित हुआ कि उनके रोजगार के दौरान धर्म परिवर्तन हुआ था। इन तथ्यों पर प्रतिवादी को माल के मूल्य के लिए अपीलकर्ता के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया था। स्वामी के प्रतिवर्ती दायित्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त दो निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि यह नौकर के कृत्यों की वैध या गैरकानूनी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है और स्वामी होगा। नौकर के कथित कार्य के लिए उत्तरदायी है जो उसके रोजगार के दौरान हुआ था, भले ही नौकर ने क़ानून के कुछ प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में कार्य किया हो। *पुष्पाईबाई*

पुरषोत्तम उदेशी के मामले (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए, *नारायणलाल और अन्य* बनाम *रुखमणीबाई और* अन्य (6) में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने एक समान दृष्टिकोण अपनाया और उस अदालत के पिछले डिवीजन बेंच के फैसले को इस प्रकार खारिज कर दिया: -

> वाहन के मालिक या किराए पर लेने वाले के *वास्तविक कर्मचारी* के अलावा किसी भी व्यक्ति को माल वाहन में नहीं ले जाया जाना चाहिए, जो रोजगार के क्षेत्र में चालक के आचरण से संबंधित है। अपीलकर्ता क्रमांक 2 के रोजगार का क्षेत्र उदयगढ़ से इंदौर तक मास्टर व्यवसाय के निष्पादन में वाहन चलाना है। वह क्षेत्र किसी भी तरह से वैधानिक नियम में निहित निषेध द्वारा सीमित नहीं है। इन सभी कारणों से, उन्हें यह मानना चाहिए कि *भैयालाल* बनाम *राजरानी* में प्रस्तावित प्रस्ताव सही कानून नहीं बनाता है और, हमारी राय में, हमारे लिए संदर्भित प्रश्न का उत्तर यह है कि नियोजित नौकर का कार्य मालिक के व्यवसाय के निष्पादन में वाहन चलाते समय वैधानिक नियम या निषेध की उपेक्षा करके किसी व्यक्ति को लिफ्ट देना एक ऐसा कार्य है जिसके लिए मालिक परोक्ष रूप से उत्तरदायी है।"

जीवन दास रोशन लाई के मामले (सुप्रा) में व्यक्त विचार कि एक वैधानिक प्रावधान के सीधे उल्लंघन में कार्य करना, जिसे एक कर्मचारी द्वारा अपराध माना जाता है, को रोजगार के सामान्य पाठ्यक्रम के रूप में आसानी से कल्पना नहीं की जा सकती है क्योंकि किसी भी नियोक्ता को अधिकृत करने वाला नहीं माना जा सकता है इसलिए, कानून का उल्लंघन या किसी अपराध

को कायम नहीं रखा जा सकता है और इस पर फैसला सुनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, हालांकि अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन जुर्माने से दंडनीय है, लेकिन इस तरह के उल्लंघन को आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता है। बड़ी संख्या में क़ानूनों के तहत नियमों का उल्लंघन, या क़ानून के प्रावधानों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसे उल्लंघन को कभी भी सख्ती से आपराधिक, कार्य या अपराध नहीं माना गया है। फिर, मान लीजिए कि वाहन का चालक सातवीं अनुसूची में निहित ड्राइविंग नियमों की अवज्ञा करता है और इस तरह दुर्घटना का कारण बनता है जिसके परिणामस्वरूप ट्रक में वैध रूप से यात्रा कर रहे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मामले में यह कहा जा सकता है कि वाहन का मालिक' परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि दुर्घटना यातायात विनियमन की अवज्ञा के कारण हुई थी जो अधिनियम की धारा 12 के तहत दंडनीय है, उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक होना चाहिए।

(3) अब, हम **देख सकते हैं कि** ये निर्णय उत्तरदाताओं के लिए ली गई सलाह पर निर्भर करते हैं। *सीताराम मोतीलाल कलाल* बनाम *शांतनुप्रसाद जयशंकर भट्ट और अन्य (7)* में, सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 27 में अंग्रेजी *मामले, ब्रिट* बनाम *गैल्मोव और नेविल का उल्लेख* किया और बताया कि कार का मालिक दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि यह मास्टर के रोजगार के बाहर हुआ हो तो उसके कर्मचारी द्वारा। वहाँ क्या हुआ कि मालिक ने दिन का काम ख़त्म होने के बाद अपने दोस्तों को थिएटर ले जाने के लिए वैन अपने ड्राइवर को दी और ड्राइवर ने अपनी लापरवाही से गाड़ी चलाकर वादी को घायल कर दिया। इन तथ्यों पर यह माना गया कि यात्रा मालिक

के व्यवसाय पर नहीं थी और इसलिए, वह नौकर के कृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं था। इस मामले में निर्धारित नियम स्पष्ट रूप से उत्तरदाताओं के लिए कोई मददगार नहीं है।

कृष्णा रामय्या गौड़ा बनाम *सीपीसी मोटर कंपनी और अन्य* में, बेंच ने *पुष्पाबाई परषोत्तम उदेशी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर उद्धृत टिप्पणियों पर भरोसा* करते हुए कहा कि मालिक हॉट परोक्ष रूप से उत्तरदायी था क्योंकि मृतक को ट्रक में ले जाया गया था, यह नियम 161 का प्रत्यक्ष उल्लंघन था। *पुष्पाबाई परषोत्तम उदेशी के मामले* में सर्वोच्च न्यायालय ने केवल *बार्कर* बनाम *लैविंसन* मामले में मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड गोडार्ड की टिप्पणी को इस आशय से अस्वीकार कर दिया कि नौकर के आपराधिक कृत्य के लिए मालिक जिम्मेदार है। कार्य नौकर की नियुक्ति के सामान्य दायरे के भीतर किया जाता है। उक्त अवलोकन की अस्वीकृति का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि मास्टर अपने रोजगार के दौरान किए गए अपने कर्मचारी के कृत्य के नागरिक परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि ऐसा करने में, उसने कुछ नियम या प्रावधान का उल्लंघन किया है। अधिनियम। मालिक के किसी कर्मचारी द्वारा तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मृत्यु होना भी अपराध कानून के तहत दंडनीय एक आपराधिक कृत्य है। यद्यपि कर्मचारी का कृत्य एक आपराधिक कृत्य है, फिर भी मालिक अपने कर्मचारी के कृत्य के नागरिक परिणामों के लिए उत्तरदायी है। विद्वान न्यायाधीशों के प्रति उचित सम्मान के साथ, हम महसूस करते हैं कि *पुष्पबसी परषोत्तम उदेशी के मामले* (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों की *कृष्ण रामय्या*

गौड़े के मामले (सुप्रा) में सही ढंग से व्याख्या नहीं की गई थी और इसलिए, हम निर्धारित नियम का समर्थन करने में असमर्थ हैं। उसमें *यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* बनाम *अब्दुल मनाफ मजूर हुसैन मोमिन और अन्य (9)* में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों की सराहना करते हुए माना कि ड्राइवर को वाहन में यात्रियों को ले जाने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था और इस तरह यह माना गया था कि चालक द्वारा यात्रियों का परिवहन उसकी तैनाती के दौरान नहीं किया गया था। विद्वान न्यायाधीशों का पूरा सम्मान करते हुए हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि यदि ड्राइवर को ट्रक में यात्रियों को नहीं ले जाने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया था, तो मालिक अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। मास्टर द्वारा स्पष्ट निषेध को अधिनियम के तहत बनाए गए नियम के प्रावधानों से बेहतर मंजूरी नहीं मिल सकती है जो ट्रक में यात्रियों को ले जाने पर रोक लगाता है। जहां तक मालिक के दायित्व का संबंध है, निवारक खनन कारक जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है, यह है कि क्या कार्य चालक द्वारा उसके रोजगार के दौरान किया गया था या नहीं। यदि ड्राइवर अपने रोजगार के दौरान कार्य कर रहा था तो मालिक उत्तरदायी होगा, भले ही उसने मालिक के स्पष्ट निर्देशों के विरुद्ध या क़ानून के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया हो।

(4) दोनों पर विचार करने पर, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और ऊपर चर्चा किए गए अन्य मामलों के आधार पर, हम मानते हैं कि *जीवन दास रोशन लाल के मामले* (सुप्रा) का निर्णय सही ढंग से नहीं किया गया

था और ट्रक के मालिक को उसके प्रतिवर्ती दायित्व से केवल इसलिए मुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि चालक, उसका कर्मचारी, ले गया था पंजाब मोटर वाहन नियम, 1940 के नियम 4.60 के प्रावधानों के उल्लंघन में ट्रक में मृतक यात्री के रूप में। इस संदर्भ का तदनुसार उत्तर दिया गया है और मामले को गुण-दोष के आधार पर निपटान के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया गया है।

जीसी मितल, ज.-मैं सहमत हूं।

एसएस सोढ़ी, ज.-मैं भी सहमत हूं।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रीतिका शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा